

केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

Dated: 7.3.2018

No.3/1/2018/Admin./CIC/50134



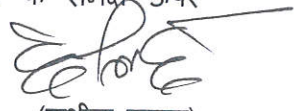
विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक का आवेदन इस अनुभाग में 6.3.2018 को श्रीमती सविता तलूजा अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी से बिंदु संख्या १ व २ के लिए प्राप्त हुआ जिसकी वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रंकित हैं:-

बिंदु संख्या	सूचना
१.	इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) की सहायता से संबंधित अनुभाग से पत्र संख्या No.3/1/2018/Admin./CIC/50134 दिनांक 6.3.2019 के तहत अनुरोध किया गया था। संबंधित अनुभाग से प्राप्त उत्तर इसके साथ संलग्न है।
2.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा रिटायर्ड कंसल्टेंट की डेट ऑफ़ जोइनिंग की तिथि २१.३.२०१६ हैं।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं।


(सुशील कुमार)

उपसचिव एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति! CPIO, RTI CELL
ED 341247174 IN



केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका/Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली -110067/New Delhi - 110067

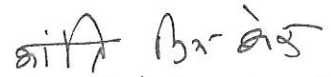
फा. सं. 3/3/2018./प्र./के.सू.आ

दिनांक: 06.03.2019

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत श्री नवीन के आर टी आई आवेदन नं. CICOM/R/2019/ 50134 दिनांक 23.02.2019 के सन्दर्भ में।

आपके पत्र सं. 3/1/2018/Admin./CIC/ST/50134 दिनांक 06.03.2019 के सन्दर्भ के सम्बन्ध में वांक्षित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु	सूचना
1	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।


(एस. पी. बेक) 06.03.19

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

✓ सेवा में,

उप सचिव (प्रशासन) & केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी।